न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

म्यूटेशन रिविजन वाद सं0–03/2017–18

सैफुल आलम उर्फ सैकुल आलम
बनाम
मो0 आजहारूल इस्लाम बगैरह

की कम या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजन वाद, रिविजनकर्त्ता सैफुल आलम उर्फ सैकुल आलम, पिता–स्व0 अलताब हुसैन, सा0–दोगाछी, थाना–शमशेरगंज, जिला मुर्शिदाबाद (पं0 बंगाल) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–07/2016–17 में दिनांक–18.02.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में (1) झारखण्ड राज्य (2) मो0 अजहारूल इस्लाम (3) मो0 अजफारूल इस्लाम (4) मो0 अब्दुल कलाम आजाद एवं (5) मो0 असद अली सभी का पिता–स्व0 मो0 अलताफ हुसैन सभी का सा0–भवानीपुर, थाना–पाकुड़ (मु0) जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल–पाकुड़ के मौजा–देवपुर नं0–169 के जमाबंदी सं0–25 के दाग सं0–189 अन्तर्गत रकवा 00–10–06 धुर जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम करने हेतु सैफुल आलम (इस वाद के रिविजनकर्त्ता) के द्वारा अंचल कार्यालय, पाकुड़ में आवेदन दाखिल किया गया, जिसके आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0–1824/2015–16 संस्थित करते हुए दिनांक–18.03.2016 को पारित आदेश द्वारा सैकुल आलम के पक्ष में नामान्तरण की स्वीकृति दी गई। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के उक्त आदेश के विरूद्ध मो0 अजाहरूल इस्लाम, मो0 आजफारूल इस्लाम, मो0 अबुल कलाम आजाद एवं मो0 असद अली सभी का पिता– मो0 अलताफ हुसैन (इस वाद के विपक्षी) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में अपील दायर किया गया। अपील आवेदन पर दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–07/2016–17 प्रारम्भ करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक–18.02.2017 को पारित आदेश द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–1824/15–16 में दिनांक–18.03.2016 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। यह रिविजन वाद निम्न न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार से सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–189 अन्तर्गत कुल

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

रकवा 01–00–11 धुर जमीन की पंजी–।। रैयत अमीना बीबी थी। उक्त अमीना बीबी के द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–216 दिनांक–01.02.1964 के द्वारा उक्त भूमि जीवानन्द दास को बेची गई। जीवानन्द दास के द्वारा उक्त भूमि निबंधित विक्रय केवाला सं0–1751, दिनांक–24.04.1970 के द्वारा सैकुल आलम (इस वाद के रिविजनकर्त्ता) को बेच दी गई। अमीना बीबी से क्रय के बाद यद्धपि जीवानन्द दास द्वारा दाखिल खारिज नहीं कराया गया तथापि उक्त भूमि उनके वास्तविक दखल–भोग में रही एवं उसके बाद रिविजनकर्त्ता के दखल–भोग में रही। जुलाई 2015 में रिविजनकर्त्ता प्रश्नगत भूमि रकवा 01–00–11 धुर जमीन का दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, पाकुड़ गए जहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि रकवा 01–00–11 धुर में से रकवा 00–10–05 धुर जमीन का दाखिल–खारिज विपक्षी सं0–02 से 05 तक के पक्ष में कर दिया गया है।

उक्त 00–10–05 धुर भूमि का दाखिल–खारिज विपक्षी के अनुसार दाखिल–खारिज वाद सं0–85/1980–81 के द्वारा किया गया है। उनका आगे कहना है कि दाखिल खारिज वाद सं0–85/1980–81 में पारित आदेश को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–05/2016–17 संस्थित करते हुए दिनांक–18.04.2017 को पारित आदेश द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–85/1980–81 में पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) कर दिया गया।

उनका आगे कहना है कि वर्ष 2015 में जानकारी होने पर रिविजनकर्त्ता द्वारा 01–00–11 धुर में से आंशिक रकवा 00–10–06 धुर जमीन का दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय पाकुड़ में आवेदन दिया गया। दाखिल आवेदन पर दाखिल खारिज वाद सं0–1824/2015–16 संस्थित करते हुए विस्तृत सुनवाई की गई एवं दावे–प्रतिदावे के परीक्षण के पश्चात 00–10–06 धुर जमीन का दाखिल–खारिज दिनांक–18.03.2016 को पारित आदेश द्वारा रिविजनकर्त्ता के पक्ष में किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के उक्त आदेश के विरूद्ध इस वाद के विपक्षीगण द्वारा निम्न न्यायालय में अपील दायर किया गया। अपील वाद में सुनवाई के पश्चात अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा दिनांक–18.03.2016 को पारित उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से यह कहते हुए अंचल अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया कि अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के आपत्ति आवेदन पर पूर्णरूपेण विचार नही किया गया। जबकि अंचल अधिकारी द्वारा सभी बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना के पश्चात आदेश पारित किया गया है।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

प्रश्नगत भूमि अमीना बीबी की थी, जिसे उसने अपने जीवनकाल में जीवानन्द दास को निबंधित केवाला द्वारा 01.02.1964 को ही बेच दी थी। जीवानन्द दास से सैकुल आलम द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक–24.04.1970 को प्रश्नगत भूमि का क्रय किया गया। विपक्षी का उक्त अमीना बीबी से तथा जीवानन्द दास से कोई संबंध नही है। विपक्षी द्वारा न तो निम्न न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अमीना बीबी द्वारा भूमि विपक्षीगण के पूवर्जो को विधिवत् हस्तांतरित की गई थी।

रिविजनकर्त्ता का आगे कहना है कि जिस दाखिल–खारिज वाद सं0–85/1980–81 का हवाला विपक्षी द्वारा दिया जा रहा है, उस दाखिल–खारिज वाद से मौजा–इलामी की भूमि का नामान्तरण एक गोलजान बीबी के पक्ष में किया गया है, जबकि प्रश्नगत भूमि मौजा–देवपूर के अन्तर्गत है। निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–85/1980–81 को दाखिल खारिज अपील वाद सं0–05/16–17 में पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है, फिर भी दाखिल खारिज अपील वाद सं0–07/16–17 में इसी दाखिल खारिज वाद सं0–85/1980–81 को आधार मानकर रिविजनकर्त्ता के पक्ष में किए गए नामान्तरण से संबंधित दाखिल खारिज वाद सं0–1824/15–16 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा एक बड़ी त्रुटि की गई। प्रश्नगत भूमि पर सैकुल आलम (रिविजनकर्त्ता) का क्रय के बाद से ही वास्तविक दखल–कब्जा रहा है। यदि विपक्षीगण को उक्त भूमि वैद्य रूप से प्राप्त थी तो केवल 00–10–05 धुर का ही नामान्तरण का दावा क्यो किया जा रहा है। सम्पूर्ण रकवा 01–00–11 धुर जमीन का नामान्तरण क्यों नही कराया गया। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को प्रश्नगत भूमि की कोई जानकारी नहीं है तथा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भूमि पर दावा किया जा रहा है। दाखिल–खारिज के मामलों में वैद्य दखल–कब्जा महत्वपूर्ण होता है एवं दखल–कब्जा के ही आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाती है। विपक्षी का दावा है कि उक्त भूमि उनके द्वारा वर्ष 1979 में लतीफन नेशा के पुत्रों एनामुल हक, एमादादुल हक एवं अमीनुल हक द्वारा विपक्षीगण को बेचा गया है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के रूलिंग से यह स्पष्ट है कि यदि एक ही भूमि का निबंधन दो भिन्न तिथियों में होता है तो प्रथम निबंधन की मान्यता होगी।

रिविजनकर्त्ता द्वारा रिविजन आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी सं0–02 से 05 तक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अमीना बीबी की थी। अमीना बीबी नावल्द थी अतः प्रश्नगत भूमि अपनी चचेरी बहन लतीफन निशा बीबी को दे दी। लतीफन बीबी के तीन पुत्रों एमानुल हक, एमदादुल हक एवं अमीनुल हक द्वारा वर्ष 1979 में विपक्षीगण को निबंधित केवाला द्वारा बेच दिया गया। प्रश्नगत भूमि का क्रम के बाद से ही विपक्षीगण का उसपर दखल–कब्जा है। रिविजनकर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी के दाखिज–खारिज वाद सं0–85/1980–81 के विरूद्ध अपील दायर किया गया है जो गलत है। लगभग 35–36 वर्ष बाद दाखिल अपील चलने योग्य नहीं है। उक्त दाखिल खारिज वाद सं0–85/1980–81 द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित है। इतने लम्बे अर्से से चली आ रही जमाबंदी को राजस्व न्यायालय रद्द नहीं कर सकते है। उनके द्वारा JLJR 2003(1) Page 95 में दर्ज न्याय निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि राजस्व प्राधिकार को स्वत्व के मामलों में निर्णय का कोई अधिकार नही है तथा यह भी कहा गया कि प्रश्नगत भूमि पर उनका Adverce Possession है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किय गया। उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि प्रश्नगत भूमि एक अमीना बीबी की थी जो पंजी II रैयत थीं। रिविजनकर्त्ता का दावा है कि अमीना बीबी द्वारा प्रश्नगत भूमि जीवानन्द दास को वर्ष 1964 एवं जीवानन्द दास द्वारा रिविजनकर्त्ता को वर्ष 1970 में निबंधित केवाला द्वारा बेची गयी। इस संदर्भ में दाखिल निबंधित केवाला सं0– 216 दिनांक 01.02.1964 एवं 1751, दिनांक 24.04.1970 की प्रति से उनके दावे की पुष्टि होती है। विपक्षी का कहना है प्रश्नगत दाग सं0– 189 अन्तर्गत आंशिक रकवा 00–10–05 भूमि उनके द्वारा एनामूल हक, एमदादुल हक एवं अमिनूल हक से निबंधित केवाला सं0–3523 द्वारा वर्ष 1979 में क्रय किया गया है। विक्रेतागण लतीफन निशा के पुत्र है तथा लतीफन नेशा अमीना बीबी की चचेरी बहन है। विपक्षी का दावा है कि अमीना बीबी नावल्द थी एवं प्रश्नगत भूमि अपनी चचेरी बहन लतीफन निशा बीबी को दी गई थी। परन्तु अपने इस दावे के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेज/कागजात साक्ष्य के रूप में दाखिल नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात हो सके कि अमीना बीबी द्वारा लतीफन निशा बीबी को उक्त भूमि वैद्य तरीके से हस्तांतरित की गई थी। अतः विपक्षी के इस दावे को साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अमीना बीबी द्वारा लतीफन निशा बीबी को प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण किया गया था। वैसे भी प्रश्नगत मामला दाग सं0– 189 के आंशिक

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

रकवा 00–10–06 धूर भूमि का है, जिसके संबंध में विपक्षी द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। दाग सं0– 189 अन्तर्गत कुल भूमि 01–00–11 धूर है। निर्बंधित केवाला सं0–3523/79 द्वारा केवल 00–10–18 धूर भूमि का क्रय किया गया है। जबकि दाखिल खारिज वाद सं0–85/1980–81 द्वारा केवल 00–10–05 धूर भूमि का ही दाखिल खारिज का दावा विपक्षी द्वारा किया गया है। शेष 00–10–06 धूर भूमि का कोई कागजात विपक्षी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। अतः इस भूमि पर उनके दावे का कोई आधार ही नहीं बनता है। जिस दाखिल खारिज वाद सं0–85/1980–81 द्वारा प्रश्नगत दाग की 00–10–05 धूर भूमि के दाखिल खारिज का दावा विपक्षी द्वारा किया गया है उक्त दाखिल खारिज वाद मौजा ईलामी की भूमि से संबंधित है तथा दाखिल खारिज गुलजान बीबी के पक्ष में सम्पन्न है। साथ ही उक्त दाखिल खारिज वाद सं0– 85/1980–81 में पारित आदेश को निम्न न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0– 05/16–17 में पारित आदेश द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0– 1824/15–16 में पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा उक्त वाद में संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया गया है।

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः रिविजन आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0– 07/16–17 में दिनांक 18.02.2017 को पारित आदेश को निरस्त (Set aside) किया जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 18:02:07 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

Scanned with CamScanner